पंचायत निगरानी संख्या : 447 / 2024
उनवान : केसाराम व अन्य बनाम खरताराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 447 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 576

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
1. केसाराम पुत्र पोकरजी 2. तेजाराम पुत्र पोकरजी जातिगण प्रजापत, निवासीगण डायलाना, तहसील देसूरी जिला पाली राज.	बनाम	1. खरताराम पुत्र पोकरजी जाति प्रजापत, निवासी डायलाना, तहसील देसूरी जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत डायलाना, पंचायत समिति देसूरी जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत डायलाना के पट्टा क्रमांक 2011 दिनांक 31.10.1998 को निरस्त करवाने बाबत् ।

उपस्थिति :–
1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणसिंह राजपुरोहित।

–:निर्णय:–

दिनांक: 26.08.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत डायलाना के पट्टा क्रमांक 2011 दिनांक 31.10.1998 को निरस्त करवाने बाबत्** पेश की गई निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डायलाना, ग्राम पंचायत डायलाना तहसील देसूरी में स्थित खसरा नम्बर 690 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 691 रकबा 0.0600 हैक्टर किस्म गेर मुमकीन सड़ा, भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक के 1/2 हिस्से की खातेदारी एवं 1/2 हिस्से की खातेदारी रतनलाल पुत्र ओगडराम कुम्हार (प्रजापति) की खातेदारी भूमि का बेरा व सडा आया हुआ स्थित है। जो भूमि ग्राम डायलाना की आबादी भूमि के पास में आयी हुई स्थित है। इस भूमि के बेरे व सडे में आने जाने हेतु आबादी भूमि में गली का जो रास्ता जाता है उस रास्ते व सडे के बीच कुछ खाली जमीन पड़ी है। जिस

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 447 / 2024
उनवान : केसाराम व अन्य बनाम खरताराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

पर बेरा व सडे का खातेदार कब्जा चला आ रहा है। इसी कब्जा सुदा भूमि को रास्ते के रुप में उपयोग में लेते हुये बेरा व सडा की भूमि में आना जाना किया जाता है, मौके पर यह भूमि आज भी खाली पडी है। गैर मुमकीन सडा की भूमि पर व आबादी की कुछ भूमि पर प्रार्थीगण का व अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा पीढियों से रहा हैं जिस जमीन को आने जाने के उपयोग मे लेने से इस पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई पक्का निर्माण कार्य हुआ नहीं है। इस कब्जा शुदा भूखण्ड पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा होने के बावजुद भी बाले बाले बिना प्रार्थीगण की जानकारी के अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो से मिलावट कर संयुक्त कब्जे की भूमि पर अपने अकेले के नाम का पट्टा क्रम संख्या 2011 दिनांक 31.10.1998 को जारी करवा दिया जिसके विरुद्ध उपरोक्त निगरानी निम्न आधार पर पेश हैः–

1. यह कि पट्टा संख्या 2011 दिनांक 31.10.1998 विधि विरुद्ध एवं कानून के विरुद्ध जारी किया गया है जो काबिल खारिज है।
2. यह कि, प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक सगे भाई है एवं उनके संयुक्त खातेदारी का बेरा व सडा गांव डायलाना कला की आबादी भूमि के पास खसरा नम्ब 690 व 691 में आया हुआ स्थित है। जिस बेरा व सडा पर आने जाने हेतु कदीम से जो रास्ता काम में लिया जाता है उस रास्ते पर कब्जा पीढियों से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक का संयुक्त रुप से चला आ रहा है। जिस भूमि का पट्टा बनाने हेतु अप्रार्थी संख्या एक ने कब प्रार्थना पत्र पेश किया और कब पंचायत ने आपत्ति इश्तिहार जारी किया इसकी कोई जानकारी प्रार्थीगण को नही दी गयी। न ही मौके पर भौतिक रुप से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक का संयुक्त कब्जा होते हुये भी अप्रार्थी संख्या एक के नाम अप्रार्थी संख्या दो ने गलत झूठा व फर्जी पट्टा जारी किया जो प्रथम दृष्टया ही काबिल खारिज है।
3. यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के समक्ष पुश्तैनी कब्जा शुदा प्लोट का पट्टा दिलाये जाने बाबत् आवेदन पेश किया जिस पर कोई तारीख अंकित नहीं है न ही अप्रार्थी संख्या एक ने पट्टा जारी किये जाने वाले प्लोट के पड़ौस व नाप लिखे है। बावजुद इसके अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या एक के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली संख्या 14 / 1998 दायर की एवं अपनी आदेशिका में लिखा कि प्रार्थी श्री खरता पुत्र पोकर कुमार डायलाना कला का प्रार्थना पत्र अपने पुश्तैनी थाले का पट्टा बनाने हेतु पेश हुआ प्रार्थी ने रसीद संख्या 594 द्वारा कोर्ट फीस रुपये10 / – एवं नक्शा फीस रुपये 25 / – जमा करवा दिये है। सचिव नियमानुसार मिसल कायम कर नक्शा बनाकर आगामी बैठक में पेश करे। आदेशिका के विवरण में भी पुश्तैनी थाले के कोई पड़ौस दर्शाये हुये नहीं है।
4. यह कि तारीख 24.09.1998 की आदेशिका में सचिव द्वारा नक्शा बनाकर पेश करने का विवरण दिया एवं मनोनित पंच मौका देखकर मौका निरीक्षण रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश

न्यायालय अति. ... बाली (पाली)

अति. जिला ... बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

करे का प्रस्ताव लिया लेकिन इसमें किसी भी वार्ड पंच का कोई नाम दर्ज नही है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेशिकाएँ एक ही दिन की लिखी हुई प्रतीत होती है। तारीख 01.10.1998 की आदेशिका में मनोनित पंचों द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश होने का जिक्र करते हुये तामील मिसल की गयी। आपत्ति पत्र नियम 207 प्रपत्र 50 में जारी किया जावे म्याद समाप्ति पर पत्रावली पुनः कोरम में पेश करें, की आदेशिका में भी किन पंचों ने मौका निरीक्षण किया एवं किस तारीख को किया इस बारे में कोई बिवरण दिया हुआ नहीं है तथा एक भरे हुये सेट फार्म में हां ना का उत्तर लिखकर निरीक्षण प्रपत्र पट्टा की पत्रावली में पेश किया गया। जिसमें भी निरीक्षण का नक्शा मौका नही बनाया, न ही उसमें कोई पडौस दर्ज किये गये। इससे भी साफ जाहिर है कि पट्टे की पत्रावली की तमाम कार्यवाही गलत व झूठी की गयी। आपत्तियां मांगने की सूचना जारी की गयी जिसमें तारीख अस्पष्ट है और तारीख 28.06.99 को सूचना पत्र जारी किया जाना प्रतीत होता है जिसमें जो पडौस दर्शाये है उसमें काँट–छाँट है। एवं सूचना पत्र के पश्चिम में स्वयं की खातेदारी भूमि नही होकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक के साथ आधे हिस्से में अन्य खातेदारी की खातेदारी भूमि है। इस सूचना पत्र की मियाद कब शूरु हुई कब खत्म हुई इसकी कोई जानकारी नही है। साथ ही सूचना पत्र मौके पर, आम चौहटे में, ग्राम पंचायत बोर्ड पर मौतबिरानो के रुबरु लगाया गया हो इस बाबत् भी कोई रिपोर्ट नहीं है एवं तारीख 31.10.98 की आदेशिका में सीधा ही लिख दिया गया है कि एक माह के आपत्ति पत्र की म्याद समाप्त हो चुकी है व किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं हुयी एवं दो गवाहान के बयान पेश हुये जो शामिल मिसल किये गये, बाद सम्पूर्ण कोरम के विचार विमर्श यह निर्णय लिया कि प्रार्थी का 20 साल पुराना पुश्तैनी कब्जा है अतः पुश्तैनी कब्जा मानते हुय सुकराना राशि 200/– पंचायत कोष में जमा कर रसीद जारी कर पट्टा जारी करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गयी। उक्त तमाम कार्यवाही को सरसरी दृष्टि से देखने मात्र से स्पष्ट है कि उक्त तमाम कार्यवाही गलत व झूठी व एक ही दिन में तैयार की गयी है।

5. यह कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम एवं नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 20 साल पुराने कब्जे की भूमि को 200/– रुपये सुकराने की राशि पर पट्टा जारी किया जावे। बावजुद इसके अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से मिलावट कर एवं अप्रार्थी संख्या एक को गलत व गैर कानूनी फायदा पहुंचाने की नियत से प्रस्ताव पारित किया गया है जो कानून व नियमों के विरुद्ध होने से उसके आधार पर पट्टा जारी नही किया जाना चाहिये था बावजुद इसके गलत व गैर कानूनी पट्टा जारी किया है जो पट्टा काबिल खारिज है।
6. यह कि पंचायत द्वारा जो आपत्ति सूचना पत्र जारी किया उसके पडौस पश्चिम दिशा में प्रार्थी खरताराम स्वयं की खातेदारी भूमि लिखी है। जबकि वह भूमि खरताराम व प्रार्थीगण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)

अति. जिला कलक्टर पाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 447 / 2024
उनवान : केसाराम व अन्य बनाम खरताराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

के संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा मौके पर रास्ता व प्रार्थीगण की खातेदारी के मध्य 15 या 20 फीट भूमि है जबकि पट्टे में उक्त भूमि 30 फीट दर्शायी है जो 10 फीट भूमि प्रार्थीगण के सडा की भूमि खसरा नम्बर 691 का भाग होते हुये अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में अप्रार्थी संख्या दो द्वारा सरासर गलत व गैर कानुनी पट्टा जारी किया जो पट्टा निगरानी काबिल खारिज है। साथ ही अप्रार्थी संख्या दो ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव जैर निगरानी पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण का मौके पर भौतिक रुप से संयुक्त कब्जा होते हुये भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नही देकर आदेश जैर निगरानी पारित किया गया है जो कानूनन गैर कानूनी व अवैध होने से काबिल खारिज है।

7. यह कि पट्टा विलेख जिन नियमों के तहत जारी किया गया है उससे सम्बन्धित पंचायत राज अधिनियम / नियमों में नियम 140 आबादी भूमि की परिभाषा है। नियम 141 भूमि के विक्रय से संबंधित है नियम 143 आबादी क्षेत्र में भूखण्डों का निलाम किये जाने का प्रावधान किया गया है परन्तु ग्राम पंचायत ने इस इस वादग्रस्त पट्टा विलेख को निष्पादन करते समय इस नियम की पालना नही की गयी है। नियम 145 क्रय के लिये आवदेन से संबंधित है जिसमें पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण विवरण मय नाप व पडौस के लिखना कानूनन जरुरी था। आवेदन पेश करते समय स्थल निरीक्षण के रुपये जमा करवाकर रसीद देने के बाद इस मामले में कोई निरीक्षण किसी भूमि का नही किया गया था। इसी कारण स्थल निरीक्षण के बाद स्थल का नक्शा तैयार किया जाता है जो नियम 146 के तहत किया जाना जरुरी है। उस रजिस्टर में प्राप्त आवेदन पर सचिव स्थल निरीक्षण के लिये तीन पंचों की समिति नियुक्त करेगा जो 15 दिन के भीतर भीतर स्थल निरीक्षण करेगा एवं अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत को पेश की जायेगी। इस प्रकार स्थल निरीक्षण के पंचायत नियम 147 हेतु अन्तिम विनिश्चिय के लिये पंचायत बोर्ड में पत्रावली पेश की जाती है, उसके बाद नियम 148 में नोटिस प्रकाशित आपत्तियों बाबत किया जाता है जो नोटिस प्रस्तावित भूमि के सहज दृश्य स्थान पर चस्पा की जाकर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाने का नियम है। उसके बाद नियम 149 के तहत आक्षेपों का निपटारा व बाद में नियम 150 के तहत भूमि का निलाम किया जाना, नियम 151 में निलाम समिति एवं नियम 152 में बाजार किमत पर भूमि विक्रय जारी करने के नियम है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि के अन्तरण का प्रावधान है। जिसमें उप नियम 1 अनुसार पंचायत किसी आबादी भूमि को प्राईवेट बातचीत द्वारा विक्रय के जरिये निम्न लिखित मामलों में अन्तरित कर सकेंगी– (क) जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो और निलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं सकती हो। (ख) जहां कोई अतिचार हो यानि लेखबद्ध किये जाने किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि निलामी उस भूमि के निवृतन का सुविधाजनक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 447/2024
उनवान : केसाराम व अन्य बनाम खरताराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

ढंग नहीं होगा।(ग) जहां तक नियम 144 के उप नियम 1 व 2 के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो और कोई एक ही आवेदक हो तो ग्राम पंचायत उस नियम के तहत विक्रय विलेख जारी करने की अधिकारिणी है। इन नियमों के तहत जारी करने वाला आज्ञापक प्रावधानों व नियमों की पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई जिस कारण भी विवादग्रस्त पट्टा विलेख संख्या 2011 दिनांक 31.10.98 अवैध व शून्य होने से काबिल खारिज है।

8. यह कि वादग्रस्त पट्टा विलेख संख्या 2011 दिनांक 31.10.98 की आड में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थीगण को आज से करीब एक माह पूर्व धमकी दी एवं ईटों से रातों रात कमरा बनाकर लोहे के पतरे डालकर बेरा व सडा पर जाने वाले रास्ता का पट्टा मेरे नाम से ग्राम पंचायत ने जारी कर दिया है जिस कारण मै इस पर निर्माण कार्य कर रास्ता रोक दूंगा। इस धमकी पर ग्राम पंचायत से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी किये जाने बाबत् पता किया तो पट्टा जैर निगरानी की जानकारी हुई एवं उस पट्टे की मिसल की नकल मांगी। जिसकी नकल मिलने पर सर्वप्रथम प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या एक द्वारा गलत व गैर कानुनी रुप से प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे की भूमि का गलत पट्टा अपने नाम से जारी करवाने की जानकारी हुयी जिसकी जानकारी होते ही बिना किसी देरी के उपरोक्त निगरानी अन्दर अवधिकाल पेश की जा रही है। अप्रार्थी संख्या एक के नाम जारी पट्टा प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध है जिस पर कोई म्याद लागु नही होती है लेकिन इस निगरानी में कानूनी म्याद का कोई विवाद नहीं है जिस कारण प्रार्थीगण की तरह से 5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

9. यह कि विवादग्रस्त पट्टा विलेख एवं प्रस्ताव जैर निगरानी ग्राम पंचायत डायलाना कला, पंचायत समिति देसूरी द्वारा पारित किये जाने से उक्त पट्टा विलेख के विरुद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से यह निगरानी माननीय न्यायालय में पेश है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत का पट्टा विलेख संख्या 2011 दिनांक 31.10.1998 को अपास्त किया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अप्रार्थी संख्या 01 ने आपत्ति बाबत मियाद का जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. प्रार्थना पत्र के पद क्रमांक 01 में वर्णित तथ्य कि पट्टा संख्या 2011 दिनांक 31.10.1998 की आड में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण को आज से करीब 01 माह पूर्व धमकी दी एवं ईटों से रातों रात कमरा बनाकर लोहे के पतरे डालकर बेरा व सडा पर जाने वाले रास्ते का पट्टा अपने नाम से जारी करवाकर निर्माण कार्य कर रास्ता रोक दूंगा आदि की धमकी देना प्रार्थीगण द्वारा पट्टे की मिसल की नकले मांगना नकले मिलते ही प्रार्थना पत्र अन्दर अवधिकाल में पेश करने के तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वास्तविक तथ्य यह है कि अप्रार्थी खरताराम द्वारा आज से करीब 25 वर्ष पूर्व ही पट्टा शुदा भूमि

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

पर निर्माण कार्य करवाकर लाईट कनेक्शन करवाकर के परिवार सहित निवास कर रहा है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को थी। प्रार्थीगण द्वारा ही बेरे व सडा में जाने वाले रास्ते पर पत्थर डालकर के रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। प्रार्थीगण द्वारा न तो निगरानी में व न ही प्रार्थना पत्र धारा 05 में कही पर भी इन तथ्यों का जिक्र किया कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी द्वारा कौनसी तारीख को धमकी दी गई व प्रार्थीगण कौनसी तारीख को पंचायत में पट्टा व मिसल की नकल हेतु आवेदन किया व नकले कौनसी तारीख को प्राप्त हुई। ऐसे कोई तथ्य प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं होने से उक्त निगरानी अन्दर अवधिकाल से बाधित होने से काबिल खारिज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र व निगरानी प्रार्थीगण की जानकारी होने के उपरान्त भी करीब 27 वर्ष की अवधि के पश्चात पेश की गई है।

2. प्रार्थना पत्र का पद क्रमांक 02 में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। कानून के तहत किसी भी प्रकार का कोई भी मामला न्यायालय में पेश होने से म्याद लागु होती है। प्रार्थीगण द्वारा करीब 27 वर्ष बाद पट्टा संख्या 2011 दिनांक 31.10.1998 को चुनौति दी है तथा हुई देरीना को प्रार्थीगण ने सुस्पष्ट कारणों सहित स्पष्ट नहीं किया है तथा देरीना अवधि को देखते हुए प्रार्थीगण देरी को माफ करवाने का विधि सम्मत तरीके से अधिकारी नहीं है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र व पंचायत निगरानी अवधि बाधित होने से निरस्त करने योग्य है। अतः उक्त पंचायत निगरानी अवधि बाधित होने से प्रार्थीगण का देरीना का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)

अप्रार्थीगण संख्या 01 निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम डायलना कला में खसरा नम्बर 690 व 691 प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 व रतनलाल के मालिकाना हक़ की शामलाती कृषि भूमि आई हुई स्थित है के तथ्य सही होने से स्वीकार है, शेष तमाम तथ्य मनगढ़ंत व गलत होने से अस्वीकार है। निगरानी का पद क्रमांक 01 में वर्णित तथ्य कि पट्टा संख्या 2011 दिनांक 31.10.1998 का पट्टा विधि विरुद्ध व कानून के विरुद्ध होने से काबिल खारिज होने के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। पट्टा संख्या 2011 दिनांक 31.10.1998 का ग्राम पंचायत डायलाना कला द्वारा बाद जांच व विधि पूर्ण तरीके से बनाया हुआ है जो निरस्त योग्य नहीं होने से निगरानी काबिले खारिज है। निगरानी का पद क्रमांक 02 में वर्णित तथ्य कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 दोनो सगे भाई है व उनके संयुक्त खातेदारी का बेरा व सडा गांव डालयना कला की आबादी भूमि के पास खसरा नम्बर 690 व 691 में आया हुआ स्थित है के तथ्य सही होने से स्वीकार है। शेष तमाम ही तथ्य कि बेरा व सडा पर आने जाने हेतु कदीम से जो रास्ता काम लिया जाता है उस रास्ते पर कब्जा पीढियों से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 का संयुक्त रुप से चला आ रहा है का कथन सही होने से स्वीकार है। शेष इसी पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत डायलाना कला द्वारा अप्रार्थी खरताराम के पक्ष में विधि सम्मत पट्टा जारी किया गया है उक्त पट्टा बाबत प्रार्थीगण

अति. जिला कलक्टर (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

को पट्टा बना तब से पूर्ण जानकारी थी। निगरानी का पद क्रमांक 03 में वर्णित तथ्य मनगढंत व गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी खरताराम के आवेदन पर बाद जांच मिसल दर्ज करके विधि अनुरुप सारी कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी किया गया है। निगरानी का पद क्रमांक 04 में वर्णित तथ्य कि दिनांक 24.09.1998 की आदेशिका में सचिव द्वारा नक्शा बना कर पेश करने का विवरण एवं मनोनित पंच मौका देखकर मौका निरीक्षण रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करे का तथ्य सही होने से स्वीकार है। उक्त आदेशिका में वार्ड पंच का कोई नाम दर्ज नहीं होने के तथ्य गलत है मौका निरीक्षण तत्कालीन पंचायत के उप सरपंच जीवीदेवी वार्ड पंच दीपाराम व ओगडराम द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश की गई है जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत डायलना कला द्वारा विधि सम्मत पट्टा बनाया गया है। इसी पद में वर्णित तथ्य कि आपत्ति पत्र नियम 207 प्रपत्र 50 में जारी किया जावे मियाद समाप्ति पर पत्रावली पुन कोरम के पेश करे के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति पत्र 207 प्रपत्र 50 में कभी जारी नहीं किया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत आपत्ति पत्र नियम 260 प्रपत्र 50 जारी किया गया है जिससे स्पष्ट है कि निगरानी कर्ता ने बिना जानकारी के तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है। इसी पद में वर्णित शेष तमाम तथ्यों का जवाब कि ग्राम पंचायत डायलाना कला द्वारा अप्रार्थी खरताराम के आवेदन पर सम्पूर्ण जांच कर विधि सम्मत पट्टा जारी किया गया है। निगरानी के पद क्रमांक 05 में वर्णित तमाम तथ्य मनगढ़ंत व गलत होने से अस्वीकार है। निगरानी के पद क्रमांक 06 में वर्णित तथ्य कि ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति सूचना पत्र जारी किया उसके पडौस पश्चिम दिशा में पट्टा धारक खरताराम स्वयं की खातेदारी भूमि लिखी है। जबकि वह भूमि खरताराम व प्रार्थीगण के सयुक्त खातेदारी की भूमि व मौके पर रास्ता व प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के मध्य 15–20 फीट की भूमि है के तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी खरताराम के पक्ष में जारी पट्टा के पश्चिम दिशा में स्वयं की खातेदारी भूमि लिखी हुई है जो सही है क्योंकि पट्टे के पश्चिम दिशा की भूमि अप्रार्थी खरताराम के हक हिस्से व कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है। निगरानी के पद क्रमांक 07 में वर्णित तथ्य मनगढ़ंत व गलत होने से अस्वीकार है। निगरानी के पद क्रमांक 08 में वर्णित तथ्य कि वादग्रस्त पट्टा विलेख संख्या 2011 दिनांक 31.10.1998 की आड में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण को आज से करीब एक माह पूर्व धमकी दी एवं ईटों से रातो रात कमरा बनाकर लोहे के पतरे डाल कर बेरा व सडा पर जाने वाले रास्ते का पट्टा अपने नाम से जारी करवा दिया जिस कारण में इस पर निर्माण कार्य कर रहा हूं के तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी खरताराम द्वारा उक्त प्लोट पर निर्माण कार्य आज से करीब 30 वर्ष पूर्व करवाकर लाईट कनेक्शन लेकर के अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। इसी पद में वर्णित तथ्य कि प्रार्थीगण द्वारा पट्टे की मिसल की नकल मांगी नकल मिलते ही निगरानी पेश करने के तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी में कहीं पर भी यह नहीं बताया कि अप्रार्थी द्वारा कौनसी तारीख को प्रार्थीगण को धमकी दी व प्रार्थीगण द्वारा पट्टा की नकले कौनसी

अति. जिला कलक्टर (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख को मांगी व नकले कब प्राप्त हुई आदि तथ्य उक्त निगरानी में नहीं बताया गया है। जिससे निगरानी अवधिकाल से बाधित होने से खारिज योग्य है। निगरानी का पद क्रमांक 09 व 10 में वर्णित तथ्य कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 01 ने विशेष कथन कर निवेदन किया कि:-

1. अप्रार्थी खरताराम अनपढ व्यक्ति है वह केवल अंगूठा निशानी करता है उसको लिखना पढना नहीं आता है। अप्रार्थी खरताराम द्वारा पट्टा बाबत में अपना कब्जा होने से आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया था जिसकी जानकारी प्रार्थी केसाराम को थी व ग्राम पंचायत द्वारा सारी विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी खरताराम के पक्ष में पट्टा क्रमांक 2011 दिनांक 31.10.1998 जारी किया गया है। उक्त पट्टा बाबत भी केसाराम को पट्टा बना जब से जानकारी है।
2. प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य के संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि खसरा न. 690 व 691 की आई हुई स्थित है उक्त भूमि व सडा में जाने के लिए कदीम रास्ता आया हुआ स्थित है उस रास्ते की भूमि पर भी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से रास्ते में पत्थर डाल करके रास्ता अवरुद्ध कर दिया है व अप्रार्थी के पट्टे की भूमि को रास्ता बता करके गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि निगरानी कर्ता की निगरानी सव्यय खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अधीनस्थ पंचायत से मूल रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया तथा अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टे से सम्बन्धित भूमि के समीपस्थ प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि अवस्थित है तथा ज़ैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित भूमि उक्त खातेदारी भूमि तक जाने हेतु कदीमी रास्ते के रुप में उपयोग की जाती थी, किन्तु अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी कर अवैध कार्यवाही प्रभाव में लाई गई। यह भी, कि प्रश्नगत मिसल संख्या 08/98-99 में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई जिसका निगरानी याचिका में पैरावार विस्तृत विवरण अंकित है। मिसल कायमी एवं निर्णय के समय उक्त नियम 1996 प्रभावी होने के उपरान्त भी सम्पूर्ण कार्यवाही पुराने नियमों राजस्थान पंचायत नियम, 1961 के अन्तर्गत निष्पादित की गई, जो प्रथम दृष्टया ही अपास्त योग्य है। यह भी, कि निगरानी में कानूनी म्याद का कोई विवाद नही है, फिर भी निगरानी के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर देरी का उपशमन करते हुए ज़ैर आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 2011 दिनांक 31.10.1998 को निरस्त फरमावें।

इसके प्रत्युतर में काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक ने वक़्त बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बाद जाँच तथा विधिपूर्ण तरीके से ही आलोच्य पट्टा विलेख जारी किया गया है। यह भी, कि जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख की प्रार्थी को प्रारम्भ से ही जानकारी रही है तथा निगरानी के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में झूठे कथनों का अंकन कर सारहीन एवं अवधिबाधित निगरानी पेश की गई है, जिसे निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नही है, अतः हस्तगत निगरानी याचिका को गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

द्वितीयतः चूंकि दोनो ही पक्षों द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है अर्थात यह स्वीकार्य स्थिति' (admitted position) है कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूमि के चिपते प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 690 एवं 691 स्थित है तथा उभयपक्षकारान् सहोदर भाई तथा आलोच्य भूमि संयुक्त कब्जे की भूमि प्रार्थीगण द्वारा बताने से अवस्थित है, प्रार्थीगण को 'हितबद्ध व्यक्ति' की श्रेणी में शुमार मानते हुए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत करने के अधिकार को मान्यता दी जाती है।

हस्तगत निगरानी याचिका का मज़मून यह है कि ग्राम पंचायत डायलाना कला द्वारा मिसल संख्या 08/98–99 के सम्बन्ध में संकल्प संख्या 01 दिनांक 03.10.1998 के अनुसरण में अप्रार्थी श्री खरताराम के पक्ष में भूमि विक्रय विलेख संख्या 2011 दिनांक 31.10.1998 बमाप 450 वर्गफीट निष्पादित किया गया। उक्त विलेख राशि 200 रुपये सुकराना जमा कर जारी किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि विक्रय विलेख संख्या 2011 को मुख्यतः दो आधारों पर चुनौति दी गई है:–

1. प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु संयुक्त उपयोग के कदीमी रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी द्वारा आलोच्य पट्टा निष्पादित करवाया गया।
2. ग्राम पंचायत डायलना कला द्वारा ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना नही की गई, अतः सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित एवं अवैध है।

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

प्रथमतः, प्रार्थीगण द्वारा निगरानी याचिका में यह अंकित अवश्य किया है कि उभयपक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर पहूंचने हेतु जिस कदीमी रास्ते का उपयोग होता है, उस रास्ते की भूमि पर आलोच्य पट्टा विलेख अप्रार्थी श्री खरताराम के पक्ष में अप्रार्थी संख्या दो द्वारा निष्पादित किया गया है। किन्तु प्रार्थीगण ने अपने इस आक्षेप की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा पडौसी भूखण्ड का पट्टा, राजस्व अभिलेख इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया है, जिस आधार पर यह उपधारणा की जा सके कि आलोच्य पट्टा विलेख में रास्ते की भूमि सम्मिलित है। अतः ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में प्रार्थीगण का उपरोक्त आक्षेप सिद्ध नहीं पाया जाता है।

द्वितीयतः, जहाँ तक ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टे से सम्बन्धित कार्यवाही में प्रक्रियात्मक प्रावधानों के उल्लंघन का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड अर्थात् मिसल संख्या 8/98–99 तथा आलोच्य पट्टे की मूल प्रति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैः–

(1.) मिसल 8/98–99 दिनांक 14.09.1998 को दर्ज की गई तथा तत्समय राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 प्रभाव में होने के उपरान्त भी स्थल निरीक्षण प्रपत्र, आपत्ति इश्तिहार इत्यादि पूर्व में निरस्त हो चुके सामान्य नियम, 1961 के अन्तर्गत जारी किया जाना प्रमाणित पाया जाता है।

(2.) मिसल में अप्रार्थी श्री खरताराम के नाम से एक आवेदन संलग्न है, जिसमें 'कब्जाशुदा प्लॉट' पर 30–32 वर्षों से कब्जे का अंकन करते हुए पट्टा दिलाने का निवेदन किया गया है। साथ ही, आवेदन एवं नक्शा शुल्क राशि 35 रुपये की जमा रसीद संख्या 594 दिनांक 14.09.1998 भी सलंग्न नत्थी है।

(3) स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचों की मौका रिपोर्ट हेतु आदेशिका दिनांक 24.09.1998 में निर्देश अंकित है, किन्तु सम्पूर्ण मिसल में उक्त तीन पंचों का मनोनयन आदेश सलंग्न नहीं है। अप्रार्थी द्वारा भी ऐसा कोई मनानेयन आदेश वक्त सुनवाई प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि जिन तीन लोगो के हस्ताक्षर से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पेश की गई, उन तीनों व्यक्तियों को उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया था अथवा नही। इसकी तस्दीक हेतु न तो ग्राम पंचायत द्वारा बैठक कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध कराया गया है और न ही पूर्वोक्त आदेशिका दिनांक 24.09.1998 में ग्राम पंचायत के ऐसे किसी संकल्प का उल्लेख है। अतः यह उपधारणा की जाती है कि ग्राम पंचायत डायलना कलां द्वारा स्थल निरीक्षण के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 के उपबन्धों की पूर्णतः पालना नहीं की गई है।

अति. जिला कलक्टर पाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

(4) मिसल में सलंग्न उक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित भूमि की चतुर्दशी अर्थात् अड़ौस–पडौस का अंकन नहीं है। यहाँ तक कि अप्रार्थी खरताराम के नाम से पट्टे हेतु सलंग्न आवेदन में भी प्रस्तावित भूमि की चतुर्दशी का कोई अंकन नहीं किया गया, किन्तु आदेशिका दिनांक 01.10.1998 की अनुपालना में जारी आपत्ति सूचना पत्र में प्रस्तावित भूमि की चतुर्दशी का अंकन किया हुआ है। **यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब आवेदन तथा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में इसका अंकन नहीं है तो आपत्ति इश्तिहार में अडौस–पडौस का अंकन ग्राम पंचायत द्वारा किस स्त्रोत एवं किस आधार पर किया गया?** उक्त तथ्य सम्पूर्ण कार्यवाही को सन्देहास्पद बनाने हेतु पर्याप्त है।

(5) इसी प्रकार, सम्पूर्ण मिसल में गवाहो के बयान सलंग्न नहीं है, किन्तु इसके विपरित आदेशिका दिनांक 31.10.1998 में यह अंकित किया गया कि गवाहो के बयान पेश हुए जो शामिल मिसल किए गए।

(6) अन्तिम आदेशिका दिनांक 31.10.1998 में यह अंकित किया गया कि "..... बाद सम्पूर्ण कोरम ने विचार विमर्श यह निर्णय लिया कि प्रार्थी का 20 साल पुराना पुश्तैनी कब्जा है। अतः पुश्तैनी कब्जा मानते हुए सुकराना राशि रुपये 200/– जमा कर रसीद जारी कर पट्टा जारी करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई"

अर्थात् अप्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा मानते हुए राशि 200/– रुपये एवज में आलोच्य पट्टा गृहों के विनियमितिकरण बएवज 200/– रुपये का प्रावधान नियम 157 उपनियम (1) (i)(ख) में उपबन्धित है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जब मिसल में कब्जे के प्रमाण के रुप में गवाहों के बयान इत्यादि नही लिए गए, तो अन्तिम आदेशिका में पुश्तैनी कब्जा किस आधार पर माना गया? यह भी, कि अप्रार्थी श्री खरताराम द्वारा पट्टा आवेदन में 'कब्जाशुदा प्लॉट' का पट्टा देने का अंकन किया गया है, न कि कोई पुराने गृह या मकान इत्यादि का। जबकि उक्त नियम 157 में खाली भूखण्ड का पट्टा जारी करना अनुमत नही है अपितु 50 वर्ष अथवा अधिक अवधि से पूर्व निर्मित एवं कब्जाशुदा मकान के विनियमितिकरण का प्रावधान है। अप्रार्थी द्वारा भी उक्त आवेदन में अपना कब्जा मात्र 30–32 वर्षो से होने का अंकन किया है। **इससे यह स्पष्ट होता है कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा खाली कब्जाशुदा भूखण्ड पर मात्र 20 वर्षों के तथाकथित पुश्तैनी कब्जें के आधार पर जारी किया है, जिसका राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 में कोई उपबन्ध नहीं है।** यह भी कि ग्राम पंचायत डायलाना कला से यह अपेक्षित था कि उक्त प्रस्तावित भूमि की खूली निलामी अथवा नियम 156 के अन्तर्गत जिला निष्पादन समिति द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर आपसी बातचीत द्वारा विक्रय किया जाता, किन्तु 20 वर्षों से पुश्तैनी कब्जा मानते हुए खाली भूखण्ड का पट्टा विलेख राशि 200/–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)
अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)
P.T.O.
Scanned with OKEN Scanner

रुपये एवज मे जारी कर, जिसका राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में कही कोई उपबन्ध नहीं है, ग्राम पंचायत द्वारा अवैधानिक कार्यवाही निष्पादित की गई है।

अतः हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत डायलाना कला द्वारा मिसल संख्या 8 / 98–99 में पट्टा विलेख पर अंकित संकल्प संख्या 01 दिनांक 03.10.1998 तथा आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 2011 दिनांक 31.10.1998 बज़तरफ श्री खरताराम को अपास्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत डायलाना कलां को पुनप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि उभयपक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुतिकरण का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 167 में उपबन्धित प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डायलना कला को निर्देश दिये जाते है कि निरस्त किये गए पट्टा विलेख संख्या 2011 दिनांक 31.10.1998 पर लाल स्याही से बड़े–बड़े अक्षरों में निरस्त का अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक **26.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत को पुनः लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)